न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2019

प्रार्थी

1. लादुराम पुत्र वगताराम जाति विश्नोई निवासी अरणाय तहसील सांचौर जिला जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सोनाराम पुत्र नरिंगाराम ।
2. सांवलाराम पुत्र सोनाराम।
3. मनोहरलाल पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी अरणाय तहसील सांचौर जिला जालोर।

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

प्रार्थी अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई।

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, वादी वकील द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अनुतोष तर्क किया गया व राजस्व प्रार्थना पत्र 111, 128 जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद प्रार्थीगण मौजा अरणाय तहसील सांचौर में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 22, 2329/23, 2330/586, 2331/604 रकबा कमषः 0.20, 0.40, 0.40, 0.44 हे. जुमले रकबा 1.44 हैक्टेयर उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। नकल चालू जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं।
2. प्रार्थी द्वारा वर्णित किया की उक्त आराजी के पड़ौस में दक्षिण दिषा की तरफ अप्रार्थी प्रतिदिन खेत की माठ तोड़ कर खेत में घुसना चाहते है। जिस पर मेंने कई बार लोगों से मध्यस्थता करवाई तथा सेढा तोड़ने से मना किया व धारा 107 की कार्यवाही कर पाबंद भी करवाया। परन्तु अप्रार्थी अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आ रहे है तथा प्रतिदिन सेढा तोडकर अन्दर कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण के नाम से उसके खातेदारी में आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है जिसके तहत अप्रार्थीगण को आवास बनाना है जो अपने खातेदारी में नही बनाकर मेरी खातेदारी में आवास बनाकर सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते है व ऐसा कर अपने पक्ष में सबुत इकटठा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण ने आवास बनाने हेतु निवे खोदने पर हमें जानकारी हुई तो हमने अप्रार्थीगण को निव खोदने से मना किया व हमारे खातेदारी में सेढा तोड़कर आवास बनाने हेतु मना कर कार्य रोकना को कहा तो अप्रार्थीगण व उसका परिवार आग बबुला हो गये व मरने मारने पर उत्तारू हो गये। मैं वादी शांति प्रिय व्यक्ति हूं। किसी तरह के फोजदारी विवाद में नहीं पड़ना चाहता तथा खातेदारी का पुश्तेनी खेत छोड भी नहीं सकता। इसलिए समय रहते कानून की मंशानुसार वाद पेश कर मेरे खातेदारी के अधिकारों की रक्षा के लिए यह दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है साथ ही नेखमबंदी हेतु भूमि पैमाईस कर नेखमबंदी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र [illegible] पेश है।
3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की उक्त आराजी के बीच की सीमा अस्पष्ट होने पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी मौजा अरणाय तहसील सांचौर में प्रार्थीगण की खातेदारी की पैमाईश कर सीमांकन करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार सांचौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना था, जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रार्थना पत्र सीधे ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा अरणाय तहसील सांचौर के आराजी नवीन खसरा नम्बर 22, 2329/23, 2330/586, 2331/604 रकबा क्रमषः 0.20, 0.40, 0.40, 0.44 हे. जुमले रकबा 1.44 हैक्टेयर आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आराजी के मध्य माठ की नियमानुसार पैमाईस करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner